

M.P.  
LARSGESS  
W.  
NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH  
NCRES  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्प्लॉयिज संघ

# NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH



Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.  
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 281 /NCRES/19

Date : 28 .10.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक)  
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :- उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करना।

संदर्भ :- NCRES का पत्र दिनांक 26.08.2019

महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2019 और 22.04.2019 और प्रधान कार्यालय ने अपने आदेश दिनांक 23.08.2019 द्वारा LARSGESS के अन्तर्गत दिनांक 27.10.2017 के पहले मेडिकल जांच में फिट घोषित बच्चों को नियुक्ति प्रदान करने के लिये निर्देश जारी किया था लेकिन झांसी एवं आगरा मण्डल द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह भी अवगत कराना है कि झांसी एवं आगरा मण्डल के जिन कर्मचारियों के बच्चों को मेडिकल जांच में 27.10.2017 के पहले फिट किया गया है उनमें से कुछ कर्मचारी जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

उपरोक्त परिस्थिति में NCRES का अनुरोध है कि LARSGESS के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान करने के लिये आगरा एवं झांसी मण्डल को उचित आदेश जारी किया जाय।

28/10/19  
(आर. पी. सिंह)  
महामंत्री